सिद्धांन्त और उनके अध्ययनका अधिकार

इस विषयका वाद-विवाद श्रीयुत पं. मक्खनलालजी शास्त्रीने प्रारम्भ किया है, और उसकी चर्चा समाचार पत्रों में चल रही है, तथा हमने भी षट्खंडागम के चतुर्थ भागकी प्रस्तावनामें उसपर विचार किया है। इसके पश्चात् अभी हाल ही मैं प्रवास में गया था, जिसमें पता चला कि सन् १९१६ में भी इस विषयकी चर्चा चल चुकी है और उस समय इस विषयको सिध्दान्तोध्दारक श्रीमान् सेठ हीराचन्द नेमचन्दजी, शोलापुर ने उठाया था। उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण देकर यह भी सिध्द किया था कि यदि कोई धवलादि सिध्दान्तोंके पढनेकी श्रावकोंको "मनाई करेगा तो उसको ज्ञानावरणीय कर्मका बंध पडेगा।" उक्त सेठजीके प्रश्नपर पं मक्खनलालजी के प्रकाण्ड विव्दान् गुरुवर्य पं. गोपालदासजी बरैया ने ता. २४/८/१६ को पं. वंशीधरजी, देवकीनन्दनजी और पन्नालालजी बाकलीवाल की सम्मतिसे उत्तर दिया था, कि धवलादि ग्रन्थोंके श्रावकको पढनेमें कोई हानि नहीं है। इसपर नेमिसागरजी वर्णीने भी अपनी शुभ सम्मति दी थी। उस समय जो लेख ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी शोलापुर के सम्पादकत्व में जैनबोधकमें प्रकट हुआ था तथा स्वतंत्र पैम्फ्लैट रुप भी प्रकट किया गया था उसकी अक्षरश: अविकल कापी नीचे दी जाती है। पाठक देखेंगे कि उस समय उक्त महान विव्दानों ने धवलादि सिध्दातोंके पठनका गृहस्थोंको अधिकार स्वीकार किया है, और किसीने उक्त लेखका विरोध अभी तक नहीं किया।

गोम्मटसार, राजवार्तिक आदि ग्रन्थ भी सिध्दान्त हैं यह इस बातसे भी सिध्द है कि इन ग्रंथोंको प्रकाशित करनेवाली संस्थाका नाम 'जैन सिध्दान्त प्रकाशिनी संस्था' रख गया था और उस संस्था से श्रीयुत पं. मक्खनलालजी का भी संबंध रहा है। गोम्मटसारादि ग्रंथोंके निष्णात विव्दान् भी 'सिध्दान्तशास्त्री' कहे जाते हैं।

प्रो हीरालाल जैन,

अमरावती

ता.१/१/४२